संख्या–572/II–02–2020–04(10)/2019 TC

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–02 देहरादून, दिनांक, 28 मई, 2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण मद के कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4672/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (अ0यो0) दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या–496/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी–27 (राज्य सैक्टर) दिनांक 31 जनवरी, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण मद के अन्तर्गत **जनपद हरिद्वार में बहादराबाद विकासखण्ड के अन्तर्गत गंगा नदी के बांये किनारे पर चण्डीपुल से उत्तर प्रदेश की सीमा तक बाढ़ सुरक्षात्मक हेतु सर्वेक्षण कार्य** के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत रू0 24.61 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 9.84 लाख (रू0 नौ लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जाय।

3. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

4. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. उक्त स्वीकृत योजना में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली, शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–2 पर निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2021 तक करना सुनिश्चित करते हुए कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

क्रमशः.....2

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्यय में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए)–03–निर्माण कार्य–00–42– अन्य विभागीय मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–32/XXVII(2)/2020,दिनांक 14 मई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या–572 ( )/ II(2)–2020–04(10)/2019TC, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।